रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1221] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 1221] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

आय-कर

का.आ. 1381(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115खक के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 21कग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**21कघ. धारा 115खक की उपधारा (4) के अधीन विकल्प का उपयोग**—(1) किसी व्यक्ति, जो देशीय कंपनी है, द्वारा धारा 115खक की उपधारा (4) के परंतुकों के अनुसार 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का उपयोग प्ररूप सं. 10झख में होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप 10झख के विकल्प को इलैक्ट्रानिकी रूप में या तो अंकीय हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के अधीन प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) –

(i) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप को भरने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उक्त उपनियम में निर्दिष्ट डाटा स्ट्रक्चर, मानकों और इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के सृजन को विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा अभिलेखागार और पुन: प्राप्ति नीतियों की विरचना और कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी होगा ।";

3. मूल नियमों में प्ररूप सं. 10झक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 10झख

[देखें नियम 21कघ का उपनियम (1)]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खक की उपधारा (4) के अधीन विकल्प का उपयोग करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

....

महोदय/महोदया,

मैं .... (कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता) की ओर से धारा 115खक की उपधारा (4) के अधीन विकल्प का उपयोग करते हुए, जिसका .... स्थायी लेखा संख्यांक (पेन) है । एततद्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प का पूर्व वर्ष 20.... और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए उपयोग करता हूं ।

2. कंपनी के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं ।

(i) धारा 115खक की उपधारा (4) के अधीन विकल्प का उपयेाग करने वाली कंपनी का नाम (ii) क्या ये देशीय कंपनी है या नहीं (iii) पेन (iv) रजिस्ट्रीकृत पता (v) निगमन की तारीख (vi) कंपनी के कारबार या कार्यकलापों की प्रकृति	

3. मैं यह जानता हूं कि किसी पूर्व वर्ष के लिए एक बार पूर्वोक्त विकल्प का उपयोग करने के पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए उसे वापस नहीं लिया जा सकता है ।

4. मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि अधिनियम की धारा 115खक में उपदर्शित शर्तों को पूर्वोक्त कंपनी द्वारा पूरा किया गया है और पूरा किया जाएगा ।

स्थान :

तारीख :

भवदीय,

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

पता ....

टिप्पण 1 :

1. इस विकल्प प्ररूप पर प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।"

[अधिसूचना सं. 36/2017/फा. सं. 370142/7/2017-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 399(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2017 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

INCOME-TAX

S.O. 1381(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 115BA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (9^{th} Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), after rule 21AC, the following rule shall be inserted, namely:-

"**21AD. Exercise of option under sub-section (4) of section 115BA.** (1) The option to be exercised in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 115BA by a person, being a domestic company, for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2017, shall be in Form No. 10-IB.

(2) The option in Form No. 10-IB referred to in sub-rule (1) shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall-

(i) specify the procedure for filing of Form referred to in sub-rule (2);

(ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule(2), for purpose of verification of the person furnishing the form referred to in the said sub- rule; and

(iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to Form so furnished.";

3. In the principal rules, after Form No. 10-IA, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM No. 10-IB

[*See sub-rule (1) of* rule 21AD]

Application for exercise of option under sub-section (4) of section 115BA of the Income - tax Act, 1961

To,

The Assessing Officer,

………………………….

Sir/Madam,

I, …………………………….., on behalf of *[name and registered address of the company exercising the option under sub-section (4) of section 115BA] ……………………………………………………………………………. having Permanent Account Number (PAN)………………………………..* do hereby exercise the option referred to in sub-section (4) of section 115BA of the Income-tax Act, 1961 (the Act) for previous year 20…-…… and subsequent years.

2. The details of the company is given below

(i) Name of the Company exercising the option under sub-section (4) of section 115BA: :

(ii) Whether it is a Domestic company or not :

(iii) PAN :

(iv) Registered Address :

(v) Date of Incorporation :

(vi) Nature of business or activities of the Company :

3. I understand that the above option once exercised for any previous year, cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year.

4. I do hereby further affirm that the conditions stipulated in section 115BA of the Act are and shall be satisfied by the aforesaid company.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of Principal Officer……………………………

Name…………………………………

Designation…………………………

Address………………………………

Note 1:

1. This option form should be signed by the principal officer."

[Notification No. 36/2017/F. No. 370142/7/2017-TPL]

NIRAJ KUMAR, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note 2: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, section 3, sub-section (i), vide notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R. 399(E) dated the 21st April, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.03 21:52:41 +05'30'